



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फैक्स- 0612-2231563, फैंक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक-नि. प्रा./नि. 1-07/2019

1633 /पटना, दिनांक 18/10/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
बिहार।

विषय : प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2019 हेतु मतगणना केन्द्र के निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

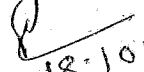
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार के पत्रांक 1574 दिनांक 09.10.2019 द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित एवं संसूचित है, जिसके अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 11.11.2019 को होना है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। अतः यह आवश्यक है कि मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र का निर्धारण ससमय कर लिया जाय। निर्वाचन हेतु सूचना का प्रकाशन प्रपत्र- ई 1 में किया जाना है, जिसमें मतदान केन्द्र, मतगणना केन्द्र एवं मतदान की तिथि एवं समय का उल्लेख किया जाना है। विदित हो कि प्राधिकार के पत्रांक 1591 दिनांक 11.10.2019 द्वारा मतदान केन्द्र के निर्धारण के संबंध में आवश्यक निदेश दिये गये हैं, जिसके अनुसार मतदान केन्द्र का निर्धारण कर दिनांक 26.10.2019 तक प्राधिकार को सूचित किया जाना है।

मतगणना केन्द्र एवं वज्रगृह की स्थापना के संबंध में "निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" (01 जुलाई, 2019 तक संशोधित) के पृष्ठ 57 पर विस्तृत निदेश दिये गये हैं। मतगणना की तिथि एवं समय के संबंध में आपके विवेक पर यह निर्भर करता है कि मतगणना मतदान के पश्चात् उसी दिन अथवा अगले दिन करायें। यदि मतगणना मतदान के अगले दिन होती है तो वज्रगृह बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। अतः आवश्यक है कि प्रति पैक्स मतदाताओं की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए संसमय यह निर्णय ले लिया जाय कि किन पैक्सों की मतगणना मतदान के दिन तथा किन पैक्सों की मतगणना मतदान के अगले दिन कराया जाना है। प्रयास ऐसा होना चाहिए कि यथासंभव कम सदस्यों वाली पैक्सों की मतगणना मतदान के दिन ही हो जाय, ताकि वज्रगृह के निर्माण एवं सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति पर होने वाले खर्च पर नियंत्रण रखा जा सके। जिन पैक्सों की मतगणना मतदान के दिन ही करायी जायेगी वहाँ वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः अनुरोध है कि मतगणना केन्द्र की स्थापना एवं मतगणना मतदान के पश्चात् उसी दिन अथवा मतदान के अगले दिन कराये जाने के संबंध में दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक पैक्सवार निर्णय ले लिया जाय एवं इसका संसूचन निर्वाचन पदाधिकारी को कर दिया जाय, ताकि निर्वाचन हेतु

सूचना का प्रपत्र- ई 1 में प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस आशय की सूचना प्रकाशित की जा सके। दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को ही कृपया प्राधिकार को भी फैक्स/ ई-मेल से सूचित कर दिया जाए कि मतगणना केन्द्र तथा मतगणना किस दिन कराया जाए, के संदर्भ में आपका निर्णय निर्वाचन पदाधिकारी को संसूचित कर दिया गया है।

विश्वासभाजन


18.10.19

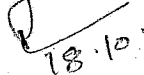
(रंजना कुमारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1633

पटना/ दिनांक 18/10/2019

प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०)/ सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18.10.19

संयुक्त सचिव।

